राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/15/12974   दिनांकः 14/10/15

आदेश

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 337 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगरीय निकायों द्वारा होटल व रेस्टोरेन्ट आदि के लिये फायर एन.ओ.सी. एक वर्ष की अवधि के स्थान पर दस वर्ष तक की अवधि के लिए जारी किये जाने हेतु एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है। संबंधित स्थानीय निकाय होटल एवं रेटोरेन्ट के मामलों में दस वर्ष तक अवधि के लिए फायर एन.ओ.सी. जारी कर सकेगें।

एन.ओ.सी. अवधि के दौरान फायर संबंधी वांछित विभिन्न मापदण्डों के निरीक्षण की शक्तियां संबंधित स्थानीय निकाय में निहित होगी। और समय समय पर सक्षम अधिकारी द्वारा इनका निरीक्षण किया जा सकेगा।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुरूषोत्तम बियाणी)
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांकःप.8(ग)(   )नियम/डीएलबी/14/12975-13355 दिनांकः 14/10/15
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–
1.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर।
2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग जयपुर।
3 निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, पर्यटन विभाग, राज0 जयपुर।
4 महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
5 आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी नगर निगम/परिषद/पालिकाएं, समस्त राजस्थान।
6.अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, राज0 जयपुर को प्रेषित कर राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशन कर दस प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
7 सुरक्षित पत्रावली।

(अशोक कुमार सिंह)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी